

न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थीगण का कोई अतिक्रमण नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान उपतहसीलदार, कैलाशनगर के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, झाडोलीवीर द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम झाडोलीवीर के खसरा संख्या 810 कुल रकबा 8.14 बीघा में से 0.18 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर फसल बोने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित हुये, लेकिन बचाव में जवाब व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में भी विवादित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध किया गया था जिस पर उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 20.7.2017 को विवादित भूमि के मौके से अपीलार्थीगण को बेदखल कर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण मौके से हटाकर रास्ते को सुचारु करवाया था, उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण में बाद जांच विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, झाडोलीवीर द्वारा संवत 2074 में अपीलार्थीगण के विरुद्ध ग्राम झाडोलीवीर के खसरा संख्या 810 कुल रकबा 8.14 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि में से 0.18 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 14.3.2018 एवं 22.3.2018 को उपस्थित हुये, लेकिन बचाव में जवाब एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त खसरा संख्या 814 किस्म रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने से उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 20.7.2017 को अतिक्रमण हटाकर रास्ते को सुचारु करवाया गया था, उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर

.....पेज तीन पर


2
शक्ति प्रिया कलकण्ठ
भिरौही (प.स.क.)



फसल बोर्ड व रास्ते को अवरुद्ध किया। इस प्रकार, उप तहसीलदार, कैलाशनगर के जवाब में अंकित तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि अपीलार्थीगण ने ग्राम झाडोलीवीर के खसरा संख्या 810 रकबा 0.18 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।




(आशाराम डूडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरही